भाग I

खंड 2

बोलीदाताओं को अनुदेश

क. सामान्य

1. निविदा का दायरा

1.1 बैंक, कार किराए पर देने वाली एजेंसियों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र निविदाकारों से निविदाएं आमंत्रित करता है। यह पैनल 09 महीनों की अवधि के लिए है, अर्थात्, 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, जिसे ठेकेदार के कार्यनिष्पादन के आधार पर बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन साल-दर-साल बढ़ाया जा सकता है। संविदा का अनुमानित मूल्य रु. 5.00 लाख प्रति वर्ष है।

2. पात्रता मानदंड:

2.1 एजेंसी के पास निम्न प्रकार की 5 (पांच) कारों का न्यूनतम बेड़ा होना चाहिए -

वाहन का प्रकार		
मिड सेगमेंट सेडान	हाई एंड सेडान	एसयूवी
Dzire, Accent, Etios, SX-4, Indigo, Indica	Sunny, Ciaz, Honda City, Vento, Verna, Honda Accord, Toyota Corolla	Innova Crysta, Innova,

बैंक को प्रदान की जाने वाली कारों का मेक / मॉडल और जिस प्रारूप में दरों को उद्धृत किया जाना आवश्यक है, वह वित्तीय बोली प्रारूप (फॉर्म 2) में प्रदान किया जाना है। एजेंसी कड़ाई से सुनिश्चित करेगी कि प्रदान की गई कारें 3 या तीन वर्ष से अधिक पुरानी न हों और उनमें साजो-सामान की उचित व्यवस्था हो। बैंक को प्रदान किए गए सभी वाहनों को स्थानीय और पूरे भारत में यात्रा करने के लिए वैध परमिट होना चाहिए।

2.2 अल्प सूचना पर भी वाहनों की बुकिंग प्रभावी समन्वय और समय पर वाहनों की उपलब्धता के लिए एजेंसी निम्नलिखित विवरण प्रदान करेगी - (i) प्रतिनिधियों के 5 वैध फोन नंबर और 2 ईमेल पता (ii) शिकायत निवारण एस्कलैशन मैट्रिक्स। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना से प्राप्त सभी मेल की पावती 24 घंटे के भीतर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर बैंक प्रत्येक बार रु. 1000 का जुर्माना लगा सकता है। एजेंसी को समयबद्ध व्यवस्था के साथ एक शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करना है, जिसकी रूप-रेखा बैंक के साथ चर्चा के बाद तैयार की जाएगी।

2.3 एजेंसी के पास परिवहन सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में न्यूनतम 1 (एक) वर्ष का अनुभव होगा और यह वांछनीय है कि पिछले एक वर्ष के दौरान एजेंसी ने कम से कम एक सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / उपक्रम/ बहु राष्ट्रीय कंपनी को किराए पर कार प्रदान कर रही हो / प्रदान की हो।

2.4 पिछले एक वर्ष का वार्षिक कारोबार रु. 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि, यह वांछनीय है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार 10 लाख रुपये से कम न हो।

2.5 एजेंसी के पास सभी लागू कर पंजीकरण (जीएसटी, पैन आदि) होने चाहिए और इनका दस्तावेजी साक्ष्य भी होना चाहिए।

3. समय सीमा

3.1 प्रक्रिया के विभिन्न चरण के लिए समय सीमा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कार्यक्रम	तारीख
1	**निविदा सूचना का प्रकाशन**	25.05.2020
2	**पूर्ण निविदा स्वीकार करने की अंतिम तारीख**	15.06.2020
3	**तकनीकी बोली खोला जाना**	16.06.2020
4	**वितीय बोली खोला जाना**	19.06.2020

ख. निविदाएं तैयार करना

4. निविदा की लागत

4.1 निविदाकार अपनी निविदा की तैयारी और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा और निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम पर ध्यान दिए बिना बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

5. निविदा में शामिल दस्तावेज

5.1 **निविदा में निम्न दस्तावेज शामिल होंगे:**

- निविदा आमंत्रण सूचना
- तकनीकी बोली का विवरण
- वित्तीय बोली का विवरण

6. निविदाकार की योग्यता स्थापित करने वाला दस्तावेज

6.1. खंड 2 (भाग 1) के पैरा 2 के अनुसार संविदा करने के लिए योग्यता स्थापित करने के लिए, निविदाकार खंड 4 और 5 (मानक प्रारूप) में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करेगा।

7. निविदा की वैधता की अवधि

7.1 निविदा की वैधता अवधि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिन तक होगी।

ग. निविदा प्रस्तुत किया जाना और खोला जाना

8. निविदाओं का प्रस्तुत किया जाना, सीलिंग और अंकन

8.1 निविदाकार "तकनीकी बोली" में इंगित किए गए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दर) प्रस्तुत करेगा।

8.2 यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

9. निविदाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा

9.1 पूर्ण निविदाएं (आवश्यक दस्तावेजों के साथ) इस दस्तावेज में दर्शाई गई तारीख और समय तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9.2 बैंक अपने विवेक से, निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

10. विलंबित निविदा

10.1 समय सीमा के बाद किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. निविदा का खोला जाना

11.1 तकनीकी बोली 16 जून 2020 को अपराह्न 03:00 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएगी। केवल ऐसे निविदाकारों की वित्तीय बोली, जिनकी निविदाओं की तकनीकी बोली जांच के बाद योग्य पाई जाती हैं, 19 जून 2020 या उसके बाद के कार्य दिवस में खोली जाएंगी और उक्त तारीख के संबंध में सभी पात्र निविदाकारों को सूचित किया जाएगा। निविदाओं के खोले जाने के समय उनके अधिकृत प्रतिनिधि अपनी इच्छानुसार उपस्थित रह सकते हैं।

घ. निविदाओं की जांच

12. गोपनीयता

12.1 जब तक संविदा सौंपे जाने की जानकारी सभी निविदाकारों को नहीं दे दी जाती है, तब तक निविदा के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकारों या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताई जाएगी जो ऐसी प्रक्रिया से आधिकारिक तौर पर न जुड़ा हुआ हो।

ङ. निविदा का मूल्यांकन और तुलना

13. निविदाओं का मूल्यांकन

13.1 निविदाकार जो भाग I (तकनीकी बोली) में निर्धारित अधिकतम मानदंड का पालन करेंगे, वित्तीय बोली के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे और निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दर, जो तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया को योग्य बनाती है, अन्य सभी तकनीकी मूल्यांकन के लिए लागू होगी। सफल निविदाकारों की उपर्युक्त में से केवल ऐसे निविदाकारों को ही पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा जो प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए ऊपर बताई गई न्यूनतम दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत हों। सबसे अधिक श्रेणियों में सबसे कम बोली लगाने वाले निविदाकार का चयन किया जाएगा।

13.2 तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविदाकारों द्वारा वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्धृत न्यूनतम दरों के आधार पर बैंक द्वारा तैयार की गई किराया दर तालिका, लिखित रूप में स्वीकृति के लिए उनके साथ साझा की जाएगी।

13.3 वित्तीय बोली के लिए कोई नियम और शर्तें नहीं बताई जानी चाहिए अन्यथा उन्हें अमान्य माना जाएगा।

14. निविदाकार की योग्यता

14.1 बैंक इस बात के लिए अपने को संतुष्ट करेगा कि चयनित निविदाकार खंड 2 के पैरा 2 (भाग 1) के अनुसार योग्यता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं

15. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने के लिए बैंक का अधिकार

15.1 बैंक संविदा सौंपे जाने के पहले कभी भी किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने तथा निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और इसके लिए निविदाकारों को कोई कारण बताने की जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा, किसी भी सशर्त बोली को तत्काल खारिज किया जाएगा।

च. संविदा सौंपा जाना

16. संविदा सौंपे जाने की सूचना

16.1 तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दर अन्य निविदाकारों (जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करते हैं) के लिए लागू होगी। उपर्युक्त में

से केवल ऐसे निविदाकारों को ही पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा जो प्रत्येक श्रेणी के वाहनों के तहत उद्धृत न्यूनतम दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत हों।

16.2 जब तक एक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं की जाती है, संविदा सौंपे जाने की अधिसूचना एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी।

17. संविदा पर हस्ताक्षर किया जाना

17.1 सफल निविदाकार न्यूनतम दरों की स्वीकृति की लिखित पुष्टि के पंद्रह (15) दिनों के भीतर कम से कम रु.1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा। हालांकि, बैंक द्वारा पैनल में शामिल किए जाने की सूचना को बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा, क्योंकि इस तरह के समझौते को निष्पादित किया गया है और इस अनुबंध पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। अनुबन्ध और दरें 09 महीनों (01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021) की अवधि के लिए मान्य होंगी, जिसे ठेकेदार के कार्यनिष्पादन के आधार पर बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन साल-दर-साल बढ़ाया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क का वहन और उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

भाग II

खंड 3

संविदा की शर्तें और संविदा फार्म

क	**संविदा की सामान्य शर्तें**	
1	1.1	निविदाकार बैंक द्वारा निविदा आमंत्रण में दिए गए स्रोत से निविदा दस्तावेज प्राप्त करेगा; अन्यथा बैंक निविदा दस्तावेज को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
2	2.1	सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
	2.2	उद्धृत दरों के अंकों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में उद्धृत दर पर विचार किया जाएगा।
3	3.1	निविदाकार से निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, फार्म, शर्तों और विनिर्देशों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है।
	3.2	निविदा दस्तावेज में आवश्यक सभी / किसी भी जानकारी या दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा को अस्वीकृत किया जा सकता है।
4	4.1	उद्धृत कीमत में केवल यथा लागू बीमा शुल्क, वर्दी शुल्क और किसी भी अन्य कर / शुल्क/ लेवी शामिल किया जाएगा जो मौजूदा या भविष्य में, केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया हो, जिसके लिए कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर अलग से दिखाया जाना चाहिए।.
	4.2	कार हयरिंग एजेंसी / कंपनी अपने द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पर केंद्र / राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए जीएसटी और अन्य कर / शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी।
5	5.1	किसी भी निविदाकार द्वारा या उसकी ओर से चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने पर उसे प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जाएगा। ऐसे निविदाकार को अगले तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। यदि इस तरह की बात प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चल पाती है लेकिन बाद में पता चलती है तो इस तरह की अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ होगी।
	5.2	सभी निविदाएं सभी मामलों में सभी संलग्नकों/ अनुलग्नकों सहित पूर्ण होनी चाहिए। अधूरे फॉर्म, या निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी भी प्रारूप में या बिना उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के प्राप्त बोलियां बैंक द्वारा तत्काल अस्वीकार कर दी जाएंगी।
	5.3	फैक्स या ईमेल के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी भी तरीके से प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और तत्काल खारिज कर दी जाएंगी। इस मामले पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
	5.4	नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाएं तत्काल अस्वीकार कर दी जाएंगी।

	5.5	सशर्त निविदाओं को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा और किसी अतिरिक्त शर्त पर विचार नहीं किया जाएगा।
	5.5	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकार द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।
	5.6	वैकल्पिक प्रस्तावों / पूर्णता के लिए समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6	6.1	**बयाना जमा राशि** इच्छुक निविदाकार बयाना जमा राशि के रूप में रु. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) का भुगतान करेगा। बयाना जमा राशि NEFT (बैंक के NEFT विवरण – खंड 7) के माध्यम से जमा की जाएगी। एनईएफटी का प्रमाण निविदा दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। सफल निविदाकार कार्य सौंपने की तारीख के 15 दिनों के भीतर संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक मूल्य के एक स्टांप पेपर पर एक करार निष्पादित करेगा। यदि चयनित निविदाकार संविदा सौंपे जाने पर तुरंत औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या कार्य क्रम में उल्लिखित तिथि पर काम करने में विफल रहता है, तो आशय पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और फर्म द्वारा बनाई गई ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा। असफल निविदाकार की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यूटीआर नंबर के साथ एनईएफटी की पुष्टि पर्ची संलग्न की जाए अन्यथा आवेदन को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।
7	7.1	**कार्यनिष्पादन गारंटी/ प्रतिभूति जमा राशि** संविदा सौंपे जाने के 7 दिनों के भीतर संविदा की अवधि के लिए सफल निविदाकार रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। साथ ही, रु. 50000/- की उक्त प्रतिभूति जमा राशि के अतिरिक्त सफल बोलीदाता की रु. 10,000/- की बयाना जमा राशि को प्रतिभूति जमा राशि के रूप में जोड़ा लिया जाएगा। प्रतिभूति जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता की प्रतिभूति जमा राशि (रु. 10,000/- + रु. 50,000/- अर्थात कुल रु. 60,000/-) अनुबंध की अवधि के दो महीने के बाद संविदा के संतोषप्रद ढंग से पूरा किए जाने और बोलीदाता या उसके नियोक्ता की कोई देयता नहीं होने पर बिना ब्याज के जारी की जाएगी। किसी भी शिकायत के मामले में, बैंक को देय सभी देयताओं, देनदारियों को समायोजित करने के बाद ही प्रतिभूति जमा राशि का संवितरण किया जाएगा और बोली लगाने वाले को इस तरह के विनियोग पर आपत्ति नहीं होगी। कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी संविदा की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी।
ख	**संविदा की विशिष्ट शर्तें**	

1	1.1	चयनित टेंडर बैंक/ बैंक द्वारा अधिकृत अधिकारी की आवश्यकता पर अपेक्षित कार / एसयूवी आदि वाहन (एसी के साथ) प्रदान करेगा।
	1.2	सेवा प्रदाता बैंक की आवश्यकता के अनुसार टैक्सी परमिट के साथ पर्याप्त वैरिएंट वाले वाहन जैसे- सेडान, एसयूवी आदि उपलब्ध कराएगा।
	1.3	बैंक को प्रदान किए गए सभी वाहनों को स्थानीय रूप से और पूरे भारत में यात्रा करने की वैध अनुमति होनी चाहिए और अन्य सभी वैधानिक अनुपालन पूरे किए जाने चाहिए।
	1.4	सभी वाहन साफ-सुथरे और साफ-सुथरे साज सामान के साथ अच्छी और उचित स्थिति में होंगे।
2	2.1	ड्राइवर के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ट्रैफिक कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर उसके द्वारा दिखाना चाहिए। समय-समय पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना सेवा प्रदाता की ही जिम्मेदारी होगी।
	2.2	काम पर लगाए गए ड्राइवरों के पास अच्छे ड्राइविंग रिकॉर्ड के साथ उचित अनुभव होना चाहिए, वे अच्छे व्यवहार वाले होने चाहिए और उन्हें अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं में भी बात करने में सक्षम होना चाहिए। उसे जरूरत पड़ने पर रास्ते में वाहनों की मामूली मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए। ड्राइवर को अतिथि द्वारा मांगे जाने पर अपना मोबाइल नंबर देना चाहिए।
	2.3	ड्राइवरों को साफ वर्दी में और निर्दिष्ट समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा। वे दैनिक आधार पर माइलेजका उचित रिकॉर्ड बनाए रखेंगे और उपयोगकर्ता (अधिकारी / कर्मचारी) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। वे अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित रूप से तय की गई दूरी / रीलिविंग के समय, आदि के पूर्ण विवरण के साथ ड्यूटी स्लिप रखेंगे। इसके अलावा वे बड़े करीने से कपड़े पहने होंगे और हर समय विनम्र, व्यवहार कुशल और सेवा उन्मुख होंगे।
	2.4	सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित चालक / कर्मचारी को जब भी आवश्यक हो, बैंक के सुरक्षा अधिकारियों / गार्डों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और वाहनों / व्यक्तियों को सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।
	2.5	ड्राइवर हमेशा उस स्थान पर उपलब्ध होगा जहां कार खड़ी है और वह सभी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करेगा।
	2.6	ड्राइवर हवाई अड्डे / किसी भी अन्य स्टेशनों पर आने वाले अतिथि / अधिकारी के विवरण वाला एक प्लाकार्ड ले जाएगा। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अतिथि की शिकायतों के लिए कोई जगह नहीं है।
	2.7	ड्राइवर बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों को पूरा करेंगे और सुरक्षा के संबंध में नियमों और विनियमों का भी पालन करेंगे।
	2.8	प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी वैध कागजात जैसे कि व्यापक बीमा, पंजीकरण, सड़क कर, नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत प्रदूषण, परमिट, वैध लाइसेंस, आदि प्रत्येक वाहन में / ड्राइवरों के साथ आसानी से उपलब्ध होगा।
3	3.1	सेवा प्रदाता फोन / ईमेल पर लिखित या मौखिक निर्देशों पर उसमें उल्लिखित समय के भीतर टैक्सी प्रदान करेगा। सेवा प्रदाताओं को बैंक से अल्प सूचना पर (आपात स्थिति में एक

		घंटे के भीतर) टैक्सी प्रदान करना आवश्यक होगा। यदि परिवहन प्रदाता फोन पर मौखिक या लिखित रूप से हमारे अनुरोध पर टैक्सी प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक परिवहन प्रदाताओं के पैनल से परिवहन प्रदाता को हटाने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक का निर्णय बाध्यकर होगा और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।
4	4.1	सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदान की गई कारों को बिना डेंट / खरोंच के बनाए रखा जाए और वे पुरानी न हों।
	4.2	सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए वाहन पंजीकृत हैं और समय-समय पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का अनुपालन करते हैं।
	4.3	सेवा प्रदाता अपने द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्तियों/ ड्राइवरों के पूर्ववृत के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।
	4.4	सेवा प्रदाता निरपवाद रूप से बैंक की कार बुकिंग डेस्क को बुकिंग की पुष्टि करेगा (ई-मेल और एसएमएस द्वारा) और उसके बाद अतिथि को ई-मेल और एसएमएस द्वारा कार विवरण अर्थात कार बनाने, कार पंजीकरण संख्या, ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर के बारे में अपेक्षित समय में निर्दिष्ट समय से कम से कम चार घंटे पहले बताएगा।
	4.4	बैंक को प्रदान किए गए वाहन के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में सेवा प्रदाता के पास आपातकालीन परिवहन / भ्रमण सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था करने की क्षमता होगी। ब्रेक-डाउन की स्थिति में वैकल्पिक वाहनों की भी तुरंत व्यवस्था की जाएगी।
	4.5	यदि ड्राइवर / कार उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी दिन बुक की गई कार उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, जिसकी संभावना बहुत कम होती है, तो एजेंसी को वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। एजेंसी को बैंक के संबंधित विभाग को परिवर्तनों को सूचित करना चाहिए। कार की अनुपलब्धता के कारण किसी अन्य एजेंसियों द्वारा एजेंसी को कार किराए पर लेना दोहरे नियंत्रण की ओर जाता है और इसलिए इससे बचना चाहिए।
	4.6	फॉर्म 3 के अनुसार फीडबैक फॉर्म, एजेंसी द्वारा प्रदान की गई कारों / वाहनों में उपलब्ध कराया जाएगा।
	4.7	यदि एजेंसी या उसके एजेंट / कर्मचारी / ड्राइवर इसमें उल्लिखित नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और / या बैंक की राय में असंतोषजनक सेवाएं देता है तो एक महीने की नोटिस देकर करार की समाप्ति के लिए खुद उत्तरदायी होगा।
	4.8	संविदा की समाप्ति के लिए नोटिस अवधि के दौरान, निविदाकार नोटिस अवधि की समाप्ति तक अपने संविदा संबंधी दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा।
	4.9	**सत्यनिष्ठा की शर्त** नियोक्ता की ओर से यह वादा करना कि किसी भी ऐसे लाभ की इच्छा न करना या स्वीकार न करना, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है। नियोक्ता द्वारा सभी बोली लगाने वालों के साथ बराबरी और विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करना। बोलीदाताओं की ओर से कीमतों, विशिष्टताओं, प्रमाणपत्रों, सहायक संविदाओं आदि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई लाभ या तालमेल की पेशकश नहीं करने का वादा करना। बोलीदाताओं को नियोक्ता द्वारा व्यापार संबंध के हिस्से के रूप में प्रदान की गई किसी भी जानकारी को दूसरों को नहीं

		देना है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अधीन कोई अपराध नहीं करना है। बोलीदाता ओं को उनके द्वारा एजेंटों / ब्रोकरों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना है। बलीदाताओं को किसी भी अन्य कंपनी के साथ किसी भी तरह के अपराध का खुलासा करना होगा जो भ्रष्टाचार निरोधक सिद्धांत पर प्रभाव डाल सकता है। विदेशी बोलीदाता को भारत में एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना है और भारतीय बोलीदाताओं को अपने विदेशी प्रिंसिपलों या सहयोगियों का खुलासा करना है।
	4.10	**करार की समाप्ति -** 1. इसमें जो कुछ भी निहित है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना किसी कारण बताए और बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए, 30 दिनों की लिखित नोटिस द्वारा इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि i) बैंक की राय में (जिसपर ठेकेदार द्वारा प्रश्न नहीं किया जाएगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा), ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के अनुरूप इस करार को कार्यान्वित करने में विफल हो जाता है या इंकार कर देता है। और / या ii) ठेकेदार इस करार के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और / या iii) किसी भी कारण से, ठेकेदार इस करार के तहत अपने दायित्वों को निभाने के लिए कानूनन हकदार नहीं रह जाता है और / या iv) यदि ठेकेदार या उसके व्यवसाय के स्वामित्व / साझेदारी या प्रबंधन में कोई भिन्नता है और ऐसी भिन्नता के लिए बैंक का लिखित पूर्व अनुमोदन नहीं है।
	4.10	**दंड-** बिलों के साथ जमा किए गए फीडबैक फॉर्म (फॉर्म 3) के आधार पर, बैंक द्वारा सेवा की कमी की प्रत्येक घटना के लिए रु. 100 का दंड लगाया जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। यदि एजेंसी खंड 'ख'- 'संविदा की विशेष शर्तें' में उल्लिखित नियम और शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है तो बैंक बिल राशि का 10% तक जुर्माना लगा सकता है।
	4.11	कारों की बुकिंग के दौरान हर दिन निम्नलिखित सामग्री के साथ वाहन दिए जाएंगे: (i) कम से कम एक राष्ट्रीय या स्थानीय अंग्रेजी / हिंदी अखबार, (ii) प्रतिष्ठित ब्रांड की दो 500 मिलीलीटर पानी की बोतलें, (iii) टिशू पेपर (पाउच में फेस टिशू पेपर),

		(iv) छाता, (v) अग्निशामक यंत्र (vi) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। उपर्युक्त सुविधाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा और एजेंसी द्वारा उद्धृत शुल्कों में इनकी लागत शामिल होनी चाहिए। आवश्यक चीजों की अनुपलब्धता के बारे में शिकायत के मामले में संबंधित बिल से प्रति मद रु. 100/- प्रति घटना कटौती की जाएगी।
ग	**भुगतान की शर्तें**	
1	1.1	बैंक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के मामलों को छोड़कर, साप्ताहिक अंतराल पर प्राप्त होने वाले पूर्ण और स्पष्ट बिलों का भुगतान 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा और पूर्ण और स्पष्ट बिल प्राप्ति के अधिकतम15 (पंद्रह) कार्यदिवसों के भीतर भुगतान किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू करों, स्रोत पर कटौती की जाएगी और इसके लिए एक प्रमाण पत्र सेवा प्रदाता को जारी किया जाएगा।
	1.2	सभी भुगतान केवल एनईएफटी / आरटीजीएस चैनल के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके लिए बैंक को आवश्यक मैंडेट प्रस्तुत किया जाएगा।
	1.3	भुगतान करने की तिथि के 10 दिनों के भीतर निविदाकार को प्राप्त भुगतान के बारे में कोई आपत्ति बैंक के संज्ञान में लाई जा सकती है। यदि ऐसी कोई आपत्ति निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।
	1.4	मूल रसीद प्रस्तुत करने पर टोल और पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
	1.5	श्रम कानूनों / ईंधन की कीमतों में होने वाले बड़े बदलावों के मद्देनजर संविदा के नवीनीकरण के समय समीक्षा के लिए बैंक द्वारा स्वीकार की गई दरें 09 महीनों की अवधि के लिए मान्य रहेंगी। दर में कोई भी संशोधन बैंक के विवेक पर होगा।
	1.6	ऐसे किसी दिन का कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं है जब सेवा प्रदाता के ड्राइवर की गलती से वाहन की दुर्घटना हो जाए।
	1.7	गैरेज और पिकअप और गैरेज तक वापस जाने के संबंध में दावा की जाने वाली अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर तक ही सीमित रहेगी।
	1.8	किसी भी अतिरिक्त मिनट को अगले पूर्ण घंटे के लिए राउंड ऑफ किया जाएगा (उदाहरण के लिए 4 घंटे 10 मिनट को 5 घंटे के रूप में गिना जाएगा)
घ	**सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन**	
1	1.1	विनियमों जैसे केंद्र सरकार का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस अधिनियम, नियोक्ताओं की देयता अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, भविष्य निधि भुगतान निधि और विविध प्रावधान अधिनियम और समय-समय

		पर राज्य और केंद्र सरकार के लागू श्रम लाइसेंस का अनुपालन एजेंसी की पूरी जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में, एजेंसी सभी दावों के खिलाफ बैंक की क्षरिपूर्ति करेगी और आवश्यक पुस्तकों, लॉग, रजिस्टरों, सत्यापन, रिटर्न, प्राप्तियां, कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस इत्यादि को बनाए रखेगी, जो कानून के अनुसार और सरकारी नियमों के अनुसार अनिवार्य है और जब भी आवश्यक हो संबंधित सरकारी अधिकारी / श्रम प्रवर्तन अधिकारी / क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निरीक्षण और सत्यापन के लिए इसे उपलब्ध कराएगी। जब भी मांग की जाएगी इस तरह के सभी अनुपालन, विवरण और भुगतान वैधानिक अधिकारियों के लिए किए गए भुगतान, आदि की एक प्रति, पंजीकरण संख्या सहित, सत्यापन और रिकॉर्ड के लिए बैंक प्राधिकरण को प्रदान की जाएगी।
ङ	**यौन उत्पीड़न की रोकथाम**	
1	1.1	निविदाकार / एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ निविदाकार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
	1.2	निविदाकार किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसे उस स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है जब घटना में निविदाकार के कर्मचारी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए अगर निविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है तो बैंक के कर्मचारी को किसी भी प्रकार का मौद्रिक राहत।
	1.3	कार्यस्थल और संबंधित मुद्दों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।
च	**विवाद का निपटान**	
1	1.1	करार के तहत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ यानी भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के क्षेत्रीय निदेशक और उनके निर्णय को लिखित रूप में संदर्भित किया जाएगा, लिखित रूप में उनका निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, मध्यस्थता के माध्यम से हल नहीं किए गए किसी भी विवाद / मुद्दे के लिए कानूनी अधिकार क्षेत्र केवल पटना होगा।
	1.2	सेवा प्रदाता बैंक को किसी भी ऐसे नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जो करार की अवधि के दौरान कार / कारों को किराए पर लेने के कारण तीसरे पक्ष (व्यक्तियों या भवन, आदि) और / या बैंक के अधिकारियों / अतिथियों को या बैंक की संपत्ति को होती है। बैंक सेवा प्रदाता के बिल से नुकसान और / या क्षति की वसूली का अधिकार रखता है।

भाग II

खंड 4

मानक फॉर्मैट

फॉर्म 1

I. निविदाकार द्वारा तकनीकी बोली: ब्यौरा (आवेदक के पत्र शीर्ष पर देना है)

निविदाकार का नाम: ____

पता: ____

____

क्रम सं.	निविदाकार द्वारा विवरण भरा जाना है
1	संस्था का नाम
2	(क) संस्था का प्रकार- (क्या स्वामित्व/ साझेदारी/ एलपीपी/ प्रा. लि./ लि. कंपनी है)
	(ख) स्थापना की तारीख
	(ग) पंजीकरण का ब्योरा (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकारी, तारीख, संख्या आदि (पूर्ण स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)
	कृपया इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।

3	पता के साथ प्रोपराइटर/ साझेदार/ निदेशकों का नाम और पदनाम
4	**पंजीकृत कार्यालय/ कारोबार का पता:**
	टेलीफोन न.
	मोबाइल न. (कृपया 05 वैध फोन नंबर दें)
	फैक्स न.
	ई-मेल आईडी (कृपया 2 वैध ई-मेल आईडी दें)
	(क) क्या पटना में अपना कार्यालय है**?** (हाँ/ नहीं):
	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर
	कृपया इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
5	**कार्य अनुभव:** कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के साथ पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का ब्यौरा

	दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ सरकारी/ अर्द्ध-सरकारी/ सरकारी उपक्रम/ बैंकों/ बहु राष्ट्रीय कंपनियों में कार हायरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के पूर्व अनुभव का ब्योरा।	
6	क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 का औसत वार्षिक टर्नओवर रु. 10 लाख है? (हाँ/नहीं) या क्या पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 का वार्षिक कारोबार टर्नओवर रु. 10 लाख है? (हाँ/ नहीं)	
	कृपया इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। (जहाँ लागू हों)	
7	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न (यथा लागू)	
	(क) क्या वित्त वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न उपलब्ध है? (हाँ/ नहीं)	
	(ख) क्या वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न उपलब्ध है? (हाँ/ नहीं)	
	(ग) क्या वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न उपलब्ध है? (हाँ/ नहीं)	
	स्व प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है।	
8	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियमावली, 1971 के अधीन श्रम विभाग में पंजीकृत है? (हाँ/ नहीं)	
	यदि हाँ, पंजीकरण की तारीख बताएं	
	प्रमाणपत्र/ पंजीकरण की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी है।	
9	बैंकर का नाम और पता (अनुलग्नक- I):	
	कृपया इस निविदा दस्तावेज में संलग्न फार्मैट (अनुलग्नक- II) के अनुसार वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकर से प्राप्त प्रमाणपत्र संलग्न करें।	

10	कंपनी/ एजेंसी के अधीन परिचालन कर रहे वाहनों की कुल संख्या:
	उपर्युक्त में से कितने वाहन अपने हैं:
	उपर्युक्त में से कितने वाहन अपने नहीं हैं बल्कि संविदा के अधीन हैं:
	आर सी/ फिटनेस और परमिट की प्रतिलिपि के साथ अनुलग्नक- *III* के अनुसार बेड़े में शामिल वाहनों/ टैक्सी की सूची
11	पूर्ण ब्योरा के साथ वर्तमान ग्राहक का नाम और पता
12	बैंक खाता (IFSC Code और खाता संख्या) जिसमें संस्था द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

फॉर्म 1

II. तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां

1. वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण (यथा लागू)
2. पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का आयकर रिटर्न (यथा लागू)
3. बैंकरों का विवरण (अनुलग्नक- I)
4. वित्तीय स्थिति पर बैंकर का प्रमाणपत्र (अनुलग्नक- II)
5. अपनी कारों की संख्या (अनुलग्नक- III)
6. ग्राहकों की सूची
7. निगमन दस्तावेज
8. जहाँ लागू हो, पैन, टिन और जीएसटी पंजीकरण की प्रतिलिपि
9. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया उल्लेख करें)

बैंक सबूत मांगने / प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घोषणा:

1. उपर्युक्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, तो मुझे / हमें निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
2. मैं / हम बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
3. मैं / हम इस बात से भी सहमत हैं कि निविदा के भाग I के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए मेरी/ हमारी निविदा मान्य रहेगी और वैधता की यह अवधि ऐसी अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए बैंक और निविदाकार के बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति हो।
4. मैं / हम समझते हैं कि बैंक किसी भी कारण को बताए बिना पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. मैं / हम समझते हैं कि पैनल में शामिल होने के बाद, मैं / हम प्रत्येक श्रेणी के तहत, सह-बोलीदाताओं द्वारा मूल्य बोली में दी गई सबसे कम बोली पर भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के लिए टैक्सी की आपूर्ति करने के दायित्व के तहत होंगे।

दिनांक:

हस्ताक्षर ______________________________

निविदाकार का नाम और मुहर ______________________________

फॉर्म 1

अनुलग्नक – I

बैंकरों का विवरण

(आवेदक के पत्र शीर्ष पर दिया जाना है)

क्रम सं.	विवरण	बैंकर 1	बैंकर 2
1	IFSC और ई-मेल आईडी सहित शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता		
2	टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी सहित शाखा प्रबंधक / रिलेशनशिप मैनेजर का नाम और जॉब-टाइतल		
3	खाता का प्रकार		
4	खाता संख्या		
5	वह अवधि जब से सेवा प्रदाता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है (वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करें)।		
6	कोई अन्य जानकारी जो सेवा प्रदाता अपने बैंकरों के बारे में प्रस्तुत करना चाहता है।		

फॉर्म 1

अनुलग्नक – II

वाणिज्यिक बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का फॉर्म
(निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

(बैंकर द्वारा अपने पत्र शीर्ष में दिया जाना है और एक सीलबंद लिफाफे में भारतीय रिज़र्व बैंक, दक्षिणी गांधी मैदान,पटना- 800001 को भेजा जाना है)

1	फर्म की संरचना (क्या भागीदारी / एलएलपी / प्राइवेट लिमिटेड / प्रोपराइटरशिप / पब्लिक लिमिटेड है)	
2	फर्म के प्रोपराइटर / भागीदारों / निदेशकों के नाम / पते	
3	पिछले 3 वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (वर्ष वार रुपये में) (यथा लागू)	
	2019	
	2018	
	2017	
4	फर्म द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा	
5	लेन-देन का स्वरूप और उस पर राय	
6	वह अवधि जब से बैंक के साथ फर्म बैंकिंग कर रही है	

7	कोई अन्य टिप्पणी
8	इस बात पर राय कि क्या पार्टी को कार्य की संविदा सौंपे जाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत माना जा सकता है।

(हस्ताक्षर)
बैंक शाखा का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नोट:

1. बैंकर का प्रमाणपत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होना चाहिए, (सीलबंद कवर में)।
2. बैंक के साथ रिकॉर्ड किए गए पार्टी के सभी भागीदारों और निदेशकों के नाम शामिल करने का प्रमाण पत्र

फॉर्म 1

अनुलग्नक – III

बेड़े में शामिल वाहनों की सूची
(आवेदक के पत्र शीर्ष पर दिया जाना है)

क्रम सं.	वाहन का मेक	रजिस्ट्रेशन न.	मॉडल और विनिर्माण का वर्ष	वर्तमान माइलेज

निम्नलिखित दस्तावेजी सबूत संलग्न करें:

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र

(ख) बीमा दस्तावेज

(ग) टैक्सी परमिट

(घ) ड्राइवरों का लाइसेंस

(ङ) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

निविदाकार का हस्ताक्षर

मुहर
तारीख: ______________________________
स्थान: ____________________________

भाग II

खंड 5

फॉर्म 2

वित्तीय बोली

कार हायरिंग एजेंसी का नाम: ____

पता: ____

………………. से ……………….. तक कार हायरिंग की दर						
वाहनों का प्रकार						
ड्यूटी का स्वरूप	Maruti Swift Dzire/ Indigo/ Accent/ Etios/ SX-4	Toyota Innova/ Chevrolet Tavera/ Xylo	Sunny/ Ciaz/ Vento/ Honda City	Honda Accord/ Corolla/ Innova Crysta	AC Bus (35 to 45 seater)	AC Mini Bus (18 to 25 seater)
स्थानीय						
8 घंटे/ 80 किलोमीटर						
अतिरिक्त किलोमीटर						
अतिरिक्त घंटे						
एयरपोर्ट पीक अप और ड्रॉप						
रेलवे स्टेशन पीक अप और ड्रॉप						
आउटस्टेशन ड्यूटी (न्यूनतम200 किमी प्रतिदिन)						
दर/ किमी						
ड्राइवर भत्ता						
रात में रूकना						

उपर्युक्त उद्धृत दर निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुरूप होगा:

1. उद्धृत सेवा प्रभार में केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में या भविष्य में लगाए गए, जैसा कि लागू हो, बीमा प्रभार, वर्दी प्रभार, और कोई भी अन्य शुल्क / लेवी शामिल है, जिसके लिए कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा। उद्धृत सेवा शुल्क में जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) शामिल नहीं होगा। कानून के अनुसार, लागू करों को स्रोत पर काटा जा सकता है और इसके लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

2. गैरेज और पिकअप और बैक टू गैराज के संबंध में दावा की जाने वाली अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर तक ही सीमित रहेगी।

3. एयरपोर्ट ड्रॉप / पिकअप, रेलवे स्टेशन ड्रॉप / पिकअप और अन्य मामलों (बाहरी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आउटस्टेशन ट्रिप) में पार्किंग शुल्क, टोल शुल्क और अंतर्राज्यीय परमिट संबंधी शुल्क लिया जाएगा जिसके लिए रसीद प्रस्तुत करना होगा।

4. निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दरें अन्य सभी निविदाकारों के लिए लागू होंगी।

5. किसी भी अतिरिक्त मिनट को अगले पूर्ण घंटे के लिए राउंड ऑफ किया जाएगा (जैसे 8 घंटे 10 मिनट को 9 घंटे के रूप में गिना जाएगा)।

6. मूल रसीद प्रस्तुत करने पर टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. आउटस्टेशन को पटना के बाहर चल रहे 200 किलोमीटर से अधिक माना जाएगा।

8. यदि निविदाकार टैक्सी के किसी अन्य मेक या मॉडल को प्रदान करने में सक्षम है, तो प्रत्येक श्रेणी में प्रभारों सहित शामिल किया जा सकता है। यदि किसी भी मामले में, सेवा प्रदाता स्वयं या बैंक के कहने पर, कार के किसी भी उच्चतर मेक या मॉडल उपलब्ध कराता है तो उसे बैंक द्वारा अनुरोध किए गए वाहन के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

9. ऊपर उद्धृत प्रभारों में "संविदा की विशिष्ट शर्तें" (भाग II, खंड 3) में उल्लिखित मदों की लागत शामिल है, जैसे कम से कम एक राष्ट्रीय या स्थानीय अंग्रेजी / हिंदी समाचार पत्र, प्रतिष्ठित ब्रांड के दो 500 मिलीलीटर पानी की बोतल, टिशू पेपर (पाउच में फेस टिशू पेपर), छाता, अग्नि शमन यंत्र और वाहन में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स।

निविदाकार का हस्ताक्षर

कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का नाम और मुहर

दिनांक:

भाग III

खंड 6

फॉर्म 3

कार हायर फीडबैक फॉर्म

क्रम सं.	विवरण	हाँ	नहीं	अन्य टिप्पणी
1	क्या ड्राइवर ने समय पर रिपोर्ट किया:			
2	क्या ड्राइवर साफ-सूथरे कपड़े पहना था और व्यवहार कुशल था:			
3	क्या कार साफ-सूथरी थी:			
4	क्या कार में पेय जल का बोतल उपलब्ध कराया गया था:			
5	क्या टिश्यू पेपर उपलब्ध कराया गया था:			
6	क्या समाचार उपलब्ध कराया गया था:			
7	क्या ए.सी. ठीक ढंग से काम कर रहा था:			
8	क्या आप फिर इस एजेंसी का उपयोग कराना चाहेंगे:			
9	कोई अन्य टिप्पणी:			

अतिथि/ अधिकारी का नाम: ____

पदनाम: ____

कार्यालय: ____

यात्रा की तारीख:____

ई-मेल आईडी: ____

मोबाइल न.: ____

भाग III

खंड 7

ई-भुगतान करने के लिए बैंक खाता का विवरण

Reserve Bank of India IFSC Code: RBIS0PTPA01 A/c No.: 186003001

*** कृपया यूटीआर नंबर के साथ एनईएफटी पुष्टि पर्ची संलग्न करें।**